



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट
14-अशोक मार्ग शक्ति भवन(वि०), लखनऊ-226001

Secretary.cpftrust@uppcl.org www.uppst.org

संख्या: 1/9992/2025/47/सीपीएफट्रस्ट/निनि/2020 दिनांक: 30-04-2025

लेखाधिकारी (सीपीएफ0)
पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/केसको,
विद्युत वितरण निगम लि०,
वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा/कानपुर।

विषय:- सीपीएफ0 अंतिम भुगतान प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश।

कृपया अवगत कराना है कि ट्रस्ट कार्यालय में प्राप्त होने वाले सीपीएफ0 अंतिम भुगतान मांगपत्रों की जांच करने पर विभिन्न त्रुटियाँ परिलक्षित होने के कारण उनके सुधार हेतु पत्राचार करने पर कार्मिक/दावेदार को अंतिम भुगतान धनराशि प्राप्त होने के अनावश्यक विलम्ब होता है। अतएव अंशदायी भविष्य निधि योजना से आवरित कार्मिकों के सीपीएफ0 अंतिम भुगतान प्रकरणों का निस्तारण करते समय निम्न बिन्दुओं की जांच करने के पश्चात् ही प्राधिकार पत्र निर्गत कर मांगपत्र ट्रस्ट कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें:-

1. कार्मिक के सीपीएफ0 खाता सं० एवं सैप आई0डी0 की जांच करें।
2. कार्मिक के वेतन से की गई कटौती की प्रविष्टि उसकी लेखापर्ची में प्रदर्शित हो रही है अथवा नहीं, की जांच की जाए, जिस हेतु कार्मिक के वेतन पंजीक एवं सीपीएफ0 लेखापर्ची में प्रदर्शित अंशदान का मिलान अवश्य सुनिश्चित किया जाए।
3. कार्मिकों के वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतिम अवशेषों की जांच ई0आर0पी0 सैप के माध्यम से निर्गत लेखापर्ची से की जाए।
4. जिन कार्मिक की सैप आई0डी0 ऑक्टिव नहीं है, उनकी 9 Series की वेन्डर आई0डी0 निर्गत कराते हुए कार्मिकों के सीपीएफ0 खाते का वित्तीय वर्ष 2019-20 का अंतिम अवशेष ई0आर0पी0 सैप पर प्रविष्टि कराने के उपरान्त ही अंतिम भुगतान प्रकरण निस्तारित किया जाए।
5. यदि किसी कार्मिक का वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं उसके पश्चात् एक वित्तीय वर्ष में कर्मचारी अंशदान धनराशि ₹ 2,50,000.00 (अग्रिम की वापसी को छोड़कर) से अधिक है, तो उसका विवरण प्राधिकार पत्र में पृथक से अंकित किया जाए।
6. ट्रस्ट कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये सीपीएफ0 अग्रिम के विवरण (यथा-टैली डेटा, Omninet Data, सीपीएफ0 अनुसूचियाँ, अन्य पत्रावलियाँ) से अंशदान/ अग्रिम का मिलान किया जाए।
7. ई0आर0पी0 प्रणाली लागू होने के पश्चात् खण्डीय कार्यालयों द्वारा भुगतान किये गये Manual एरियर, वेतन इत्यादि की अभिलेखों से जांच कर ली जाए एवं उनकी प्रविष्टि लेखापर्ची में कराने हेतु प्रकरण समस्त आवश्यक संलग्नकों सहित ट्रस्ट कार्यालय को प्रेषित किया जाए।
8. कार्मिक के मृत्यु/त्यागपत्र/सेवानिरस्त/सेवा समाप्ति के पश्चात् वेतन आदि के भुगतान नहीं किये गये हैं, की जांच की जाए, एवं निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र०पा०का०लि० के पत्र सं०-09 दिनांक-03.01.2025 के अनुपालन में यथा-आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
9. कार्मिक के सीपीएफ0 खाते में उपलब्ध अवशेष पर सीपीएफ0 नियमावली, 2004 के अनुसार निर्धारित अवधि तक का ही व्याज दिया गया है। इस सम्बन्ध में उ०प्र० शासन स्तर से व्याज सम्बन्धी आदेश निर्गत होने के तात्पर्य में ट्रस्ट कार्यालय स्तर से भी प्रत्येक तिमाही में आदेश निर्गत किया जायेगा, जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
10. कार्मिक द्वारा सेवाकाल में लिये गये समस्त अग्रिमों की प्रविष्टि लेखापर्ची में कर ली गई है की जांच की जाए।
11. ट्रस्ट कार्यालय स्तर से निर्गत कार्यालय जाप सं० 1008 दिनांक-11.09.2023, कार्यालय जाप सं० 743 दिनांक-10.05.2024 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उक्त के अतिरिक्त सीपीएफ0 खातों के अंतिमीकरण के सम्बन्ध में ट्रस्ट कार्यालय/पावर कारपोरेशन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

उक्त के दृष्टिगत आपसे अपेक्षा है कि सी0पी0एफ0 योजना से आवरित कार्मिकों के सी0पी0एफ0 खातों के सापेक्ष अंतिम भुगतान प्रकरणों का निस्तारण करते समय उक्त बिन्दुओं की गहनता से जांच कर ली जाए, अन्यथा आपके कार्यालय द्वारा प्रेषित मांगपत्र के सापेक्ष किसी भी कार्मिक/दावेदार को गलत भुगतान हो जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपके कार्यालय की होगी।

(अमित रंजन)

सचिव (ट्रस्ट)

पत्र संख्या: /47/सीपीएफट्रस्ट/निनि/2020/तदिनांक:-
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (वित्त), 30प्र0पा0का0लि0/30प्र0पा0ट्रां0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), 30प्र0पा0का0लि0/30प्र0पा0ट्रां0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (वित्त/का0 एवं प्रशा0), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 / केस्को, वाराणसी/ लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
4. समस्त कार्मिक ट्रस्टीज, 30प्र0पा0का0लि0, अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट ।
5. उपमहप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), 30प्र0पा0का0लि0/30प्र0पा0ट्रां0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. उपमहप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 / केस्को, वाराणसी/ लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
7. उपसचिव, 30प्र0पा0का0लि0, अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट ।
8. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (वितरण), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
9. अधिशासी अभियंता (वेब), 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, 30प्र0पा0का0लि0/30प्र0पा0ट्रां0का0लि0/पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/ मेरठ/कानपुर।
11. लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, पारेषण-मध्य/उत्तर-पूर्व/दक्षिण-पूर्व/पश्चिम/दक्षिण-मध्य/दक्षिण-पश्चिम, 30प्र0पा0ट्रां0का0लि0, लखनऊ/गोरखपुर/प्रयागराज/मेरठ/झांसी/आगरा।
12. लेखाधिकारी (के0भु0प्र0), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 / केस्को, वाराणसी/ लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
13. लेखाधिकारी (सा0प्र0), 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, महानगर, लखनऊ।
14. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान/वेतन एवं लेखा/के0भु0प्र0), 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
15. लेखाधिकारी, मुख्यालय भुगतान इकाई, 30प्र0पा0ट्रां0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
16. समस्त लेखाधिकारी, 30प्र0 पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(अमित रंजन)

सचिव (ट्रस्ट)